मध्य रेल/C. Rly.

व्यापारिक मान के लिए अग्रेषण नोट/FORWARDING NOTE FOR GENERAL MERCHANDISE

वाणिज्य एफ 7/संशोधित 64
Com. F-7/Rev. 64
वाणिज्य 627एफ/ Com. 627 F

(भारतीय रेल अधिनियम 1890 के9 की धारा 72 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी रेलों के उपयोग के लिए अनुमोदित)

(Approved by Central Government for use on all Railways under section 72 of the Indian Railway Act. 9 of 1890)

स्टेशन मास्टर/STATION MASTER _____ रेल/RAILWAY _____ स्टेशन/STATION _____

कृपया नीचे लिखा माल प्राप्त करें और माल गाड़ी और/या मिली-जुली *गाड़ी* कोचिंग और/या मिली-जुली गाड़ी* से _____ रेलवे के _____ स्टेशन को नीचे दिये गये ब्योरे के अनुसार भेजें ।

Please receive the undermentioned consignment and forward by Goods and/or Mixed train* Coaching and/or Mixed train* to _____ station on the _____ Railways consigned below :–

C. R. P. No. 01-14-0278--8,00,000 Forms-hp-II-02-15

भेजनेवाला /By whom consigned		पानेवाला/To whom consigned		स्टेशन को Station to	नगों की संख्या No. of Articles	विवरण और निजी मार्का Description and Private marks	भेजनेवाले के अनुसार माल का भार Sender's weight		दत्त/देय भाड़ा Freight Paid/ To-Pay
नाम Name	पता Address	नाम Name	पता Address				क्वि. Qtls.	कि. ग्रा. Kgs.	

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने यह इत्मीनान कर लिया है कि जो माल मैं भेज रहा हूं उसका विवरण, मार्का और भार या परिणाम इस अग्रेषण नोट मे सही-सही भरा गया है ।

I do hereby certify that I have satisfied myself that the des cript ion, marks and weight or quantity of goods consigned by me have been correctly entered in this Forwarding Note.

† (1) भीतरी पैकिंग के लिए लागू शर्तों का पालन किया *गया/नहीं किया गया* ।
† (2) बाहरी पैकिंग में निम्नलिखित खराबी है ।
† (3) माल खराब हालत में पाया गया है, ब्योरा इस प्रकार है ।
† (4) _____ वस्तु पर लागू होने वाली पैकिंग की अनिवार्य शर्तों का पालन किया गया है ।
† (5) मेरी प्रार्थना पर माल खुले/खुली _____ से भेजा जा रहा है।
† (6) रेलवे जोखिम और मालिक जोखिम की उपलब्ध वैकल्पिक दरों में से मैं _____ दर के अनुसार भाड़ा देना चाहता हूं ।
† (7) मेरी प्रार्थना पर _____ स्टेशन के रास्ते (अधिक भाड़े वाले रास्ते से) माल भेजा* जाय ।
† (8) सबसे सस्ता रास्ता पुरा अंशतःबन्द होने के कारण भाड़ा _____ के रास्ते का लगाया जाय जो उसके बाद का सबसे सस्ता खुला रास्ता है ।

† (1) Internal packing condition applicable has been *'/has not been complied with.
† (2) Outer packing is defective as follows.
† (3) The consignment is in bad condition as follows :–
† (4) Compulsory packing conditions IP/& P applicable to the commodity _____ have been complied with
† (5) At my request the consignment is despatched in open _____
† (6) Altervnative railway risk and owner's risk rate being available, I elect to pay the _____ rate.
† (7) To be forwarded via _____ (a dearer route)* at my request.
† (8) The cheapest route being closed*/partially closed to be charged via _____ the next cheapest at open route.

* जो लागु न हो उसे काट दें ।

* Strike out where inapplicable.

† इस फार्म पर हस्ताक्षर करने से पहले जो खण्ड लागू न हो उसे काट दें ।

† Strike out any clause inapplicable before signing this form.

माल भेजने वाले उसके एजेंट का ध्यान रेलवे की माल और कोचिंग दर सूची में दी गयी उन प्रमुख शर्तों और नियमों की ओर दिलाया जाता है जो रेलवे द्वारा माल ढोने के संबन्ध में लागू है और जिनकी व्याख्या इस फार्म को दुसरी ओर दी गयी है ।

The attention of the sender or his agent is invited to the principal terms and conditions applying to the carriage of goods by railway which are set forth in the railway's Goods and Coaching Tariffs and to the explanatory notes on the back thereof.

नोट :–ऊपर के इंदराज में यदि कुछ बढ़ाया या बदला गया हो तो उस पर माल भेजने वाले या उसके एजेंट के पूरे हस्ताक्षर होने चाहिए प्रथमाक्षर नहीं ।

Note :–Additions or alterations made in the above entries must be signed (not initialled) by the Sender or his agent.

तारीख
Date _____

पता
Address _____
_____

_____
भेजनेवाले या उसके एजंट के हस्ताक्षर
Signature of Sender or his Agent

(निम्नलिखित फार्म रेलवे कर्मचारियों द्वारा भरा जाए/The form below to be filled in by the Rly. Staff only.) **अनुबन्ध 'क'/Annexure 'A'**

अग्रेषण नोट सं. / Forwarding Note No.....तारीख/Dated.....

नगों की संख्या No. of articles	विवरण Description	भार/Weight	
		क्विं./Qtls.	किलो/Kgs.

Checked by _____ द्वारा जांच की गयी तारीख/Dated _____

Weighed by _____ द्वारा तोला गया तारीख/Dated _____

Loaded by _____ द्वारा लादा गया तारीख/Dated _____

Invoiced by _____ द्वारा इन्वायस बनाया गया जोखिम तारीख/Dated _____

के रास्ते ले जाया जाय To be carried via _____ के रास्ते का भांड़ा जगाया जाय To be charged via _____

विवरण Description	नगों की संख्या No. of articles	मार्का Marks	वास्तविक भार Actual Wt.		प्रभृत भार Wt.charged		वर्ग Class	दर प्रति क्विंटल Rate per qtl.		दत्त Paid		देय To Pay		रसीद नं. Receipt No.	इनवायस Invoice		माल डिब्बों का ब्योरा Particulars of wagons			
			क्विं. Qtl.	कि. Kgs.	क्विं. Qtl.	कि. Kgs.		रु. Rs.	पै. p.	रु. Rs.	पै. p.	रु. Rs.	पै. p.		नं. No.	तारीख Date	नं. और प्रकार No. and type	मालिक रेलवे Owning Rly.	वहन क्षमता C. C.	फर्श का क्षेत्रफल Floor area

व्याख्या

(1) रेल प्रशासन जानवर (जानवरों) के खो जाने, मर जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने पर प्रति हाथी 1500 रुपये, प्रति घोड़ा 750 रुपये, प्रति खच्चर, सींगवाले पशु या ऊंट के लिए 200 रुपये, प्रति कुत्ते, गधे, बकरी, सुअर, भेड़ या दूसरे जानवर या पक्षी के लिए 30 रुपये से अधिक के लिए तब तक जिम्मेदार नहीं होगा जब तक कि पिछले पृष्ठ पर खण्ड (1) में उनका मूल्य इससे अधिक घोषित न किया गया हो और जब तक अतिरिक्त मूल्य पर अधिकृत प्रतिशत प्रभार देने का वचन न दिया गया हो । यदि अधिक मूल्य की घोषणा न की गयी हो तो यह समूचा खण्ड माल भेजने वाले या उसके एजेंट द्वारा काट दिया जाय । यदि डर जाने या बिचकने या भाड़कने का माल भेजने वाले अथवा उसके एजेंट द्वारा डिब्बे में बहुत जानवर भर देने के कारण किसी जानवर या पक्षी को क्षति या हानी पहुँचे तो माल भेजने वाले द्वारा मूल्य पर प्रतिशत प्रभार देने पर भी रेलवे उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी ।

(2) यदि किसी पैकेज में भारतीय रेला-अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उल्लेखित ऐसी वस्तु (ए) रखी हो जिनका प्रति पैकेज या प्रति वस्तु मूल्य 500 रुपये से अधिक हो तो उनमें किसी हानि क्षति या खराबी के लिए रेलवे तब तक जिम्मेदार नहीं होगी जब तक चूकिंग के समय हर पैकेज में रखी हुई वस्तुओं के और बीजित वस्तुओं के मूल्य की घोषणा न की गयी हो और बढ़े हुये जोखिम के कारण उनके मूल्य पर प्रतिशत प्रभार देने का वचन न दिया गया हो । यह घोषणा पिछले पृष्ठ पर खण्ड (2) में की जाय और आवश्यकता अनुसार "वचनबद्ध हूँ" या "वचनबद्ध नहीं हूँ" दोनों मे से एक को काट दिया जाय ।

(3) यदि दर सूची में जहां कहीं किसी वस्तु की भीतरी पैकिंग के लिए कोई शर्त दी गयी हो, तो पिछले पृष्ठ पर खण्ड (3) में लिखा जाय कि पैकिंग उसके अनुसार की गयी है या नहीं । जब तक पिछले पृष्ठ पर खण्ड (3) में इस प्रकार की घोषणा न की गयी हो तब तक परेषण को ढोने के लिए स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

(4) जिस माल की पैकिंग रेलवे नियमों के अनुसार न की गयी हो, उसे ढोने के लिए तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा तब तक पिछले पृष्ठ पर खण्ड (4) में उसकी खराबी की किस्म, जैसे "पैकिंग रेलवे नियमों के अनुसार नहीं की गयी है" "2 पेटियों के तख्ते टूट हैं" "12 ड्रम टपकते हैं" आदि आदि न लिखा गया हो ।

(5) जो माल पहले ही बुरी हालत में हो उसे ढोने के लिए तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक पिछले पृष्ठ पर खण्ड (5) में उसकी यथार्थ हालत जैसे "गांठे गीली हैं" "माल बदबू दे रहा है" आदि न बतायी गयी हों ।

(6) दर सूची में जहां कहीं किसी वस्तु के सम्बन्ध में पैकिंग की कोई अनिवार्य शर्त दी गयी हो तो वह माल ढोने के लिए तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि भीतरी और बाहरी पैकिंग निर्धारित शर्तों के अनुसार न की गयी हो और पिछले पृष्ठ पर खण्ड (6) में इस बात की घोषणा न की गयी हो ।

(7) जहां "रेलवे जोखिम" और "मालिक जोखिम" की वैकल्पित दरें दी गयी हों, वहां तब तक "मालिक-जोखिम" दर लागू होगी, जब तक माल भेजने वाला पिछले पृष्ठ पर खण्ड (क) में "रेलवे जोखिम" शब्द नहीं भरता । इस हालत में उसे अधिक प्रभार तुरन्त दे देने के लिए वचनबद्ध होना होगा और उसे इस आशय का प्रमाण-पत्र ले लेना होगा ।

(8) माल भेजने वाले की प्रार्थना पर जब कोई माल सबसे कम लम्बे रास्ते के बदले किसी दूसरे रास्ते से भेजा जाना हो तो जिस रास्ते से माल भेजना हो वे पिछले पृष्ठ पर खण्ड (8) में अवश्य लिख देना चाहिए ।

(9) जब सबसे सस्ता रास्ता चुने या अंशतः बन्द होने के कारण माल पर भाड़ा उसके बाद के सबसे सस्ते खुले रास्ते का लगाया हो तो जिस रास्ते का भाड़ा लगाया जाना हो वह पिछले पृष्ठ पर खण्ड (9) में अवश्य लिखा जाय । नोट :- जो खण्ड लागू नहीं हो उन्हें इस परेषण नोट पर हस्ताक्षर करने से पहले काट दिया जाय ।

EXPLANATORY NOTES

(1) The responsibility of a Railway Administration for loss, destruction or deterioration of the animal (s) shall not exceed in the case of elephant Rs. 1500 per head : horses Rs. 750 per head, mules, horned cattle or camels Rs. 200 per head, dogs, donkeys, goat, pigs, sheep or other animals or birds Rs. 30 per head, unless a higher value is declared in clause (i) overleaf and an engagement entered into to pay the authorised percentage charge on excess value. The entire Clause should be struck out by the sender or his agent of no declaration of higher value is made. Railway will not be liable for damage or loss arising from freight or restiveness of any animal or bird or from over-loading of wagon by the consignor or his agent irrespective of whether the sender has paid the percentage charge on value or not.

(2) Railways are not responsible for any loss, destruction, damage or deterioration of package containing/piece of article(s) specified in the Second Schedule to the Indian Railways Act whose value exceeds Rs. 500 per package or piece unles the contents of each package and value of excepted articles are declared at the time of booking and engagement entered into pay the percentage charge on value for increased risk. the declaration must be made in clause (2) over-leaf and the word "engage" or the words "do not engage" struck out as required.

(3) Whenever internal packing condition has been shown in the Tariff against a commodity the fact whether the internal packing prescribed has been provided or not should be recorded in Clause (3) overleaf. The consignment will not be accepted for carriage unless the declaration as per clause(3) overleaf is recorded.

(4) A consignment not packed in accordance with the railway rules will not be acceted for carriage unless the nature of the defect e.g., "not packed as per railway rules", "2 cases plank broken", "12 Drums leaky" etc. etc. is recorded against Clause (4) overleaf.

(5) A consignment which is already in bad condition will not be accepted for carriage unless the exact condition "bales wet" "contents smelling", etc. etc. is recorded in Clause (5) overleaf.

(6) Wherever a compulsory packing conditions has been shown in the Tariff against a commodity the consignment will not be accepted for carriage unless the internal and outer packing conditions prescribed have been complied with and declaration as per Clause (6) overleaf is recorded.

(7) When alternative railway risk and Owner's risk rates are quoted, the latter will apply unless the sender, in clause (7) overleaf, enters the words "railway risk" when he will pay or engage to pay the higher charge and will receive cetificate to this effect.

(8) When a consignment is to be forwarded via other than the shortest route at the sender's request, the route by which the consignment is to be forwarded must be recorded in clause 8 overleaf.

(9) When consignment is to be charged via the next cheapest open route, the cheapest route being closed or partially closed the route by which the consignment is to be charged must be recorded in clause (9) overleaf.

Note.–All clauses and words which are inappicable are to be struck out before the Forwarding Note is signed.